

विवरण 4 कक

चयनित केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के संबंध में राज्य/पात्र संघ राज्य क्षेत्र की सरकार के पास एकल नोडल एजेंसी (एसएनए) के अंतर्गत खातों में शेष निधि को दर्शाने वाला विवरण

भाग-क

केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) में वे योजनाएं शामिल हैं, जिनका वित्तपोषण केंद्र और राज्य दोनों अनुमोदित साझेदारी पद्धति के अनुसार करते हैं और जिनका कार्यान्वयन राज्यों द्वारा किया जाता है।

वित्त वर्ष 2021-22 से संघ सरकार एकल नोडल एजेंसी (एसएनए) मॉडल का कार्यान्वयन करती रही है। इसका उद्देश्य केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) के अंतर्गत राज्यों को निधियों के प्रवाह में स्पष्टता एवं पारदर्शिता बढ़ाना है। इसमें व्यय की रफ्तार के आधार पर राज्यों को योजना निधियों को सही समय पर जारी करना सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है। चूंकि संघ सरकार/राज्य अपनी विकास/कल्याण योजनाओं के वित्तपोषण के लिए ऋण लेते हैं, इसलिए इस व्यवस्था में निधियों को फ्लोटिंग में/अप्रयुक्त रखने से बचा जाता है, जिसके परिणामस्वरूप आगे उत्पादक उपयोग के लिए ब्याज लागतों में बचतें होती हैं। इस मॉडल से यथार्थपूर्ण एवं पारदर्शी बजट आयोजना में भी मदद मिलती है।

प्रत्येक योजना के लिए, राज्य सरकार एक एकल नोडल एजेंसी (एसएनए) को नामित करती है और किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में उसका खाता खोलती है। समस्त योजना निधियां इस एसएनए खाते में ही रहती हैं। इससे आगे योजना का कार्यान्वयन करने वाली अन्य एजेंसियां (कार्यान्वयन एजेंसियां) एसएनए खाते से निधियों का आहरण करने के लिए जीरो बैलेंस सव्सीडियरी खाते (जेडबीएसए) खोलती हैं। राज्यों के राजकोष पीएफएमएस के साथ समेकित होते हैं और सीएसएस निधियों के केंद्रीय एवं राज्य अंशों की रिलीज के डाटा का आदान-प्रदान करते हैं। पीएफएमएस में एसएनए बैंक खातों की भी मैपिंग की जाती है, जिससे कोर बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से एसएनए खाते में निधियों की उपलब्धता के विषय में लगभग रीयल टाइम जानकारी मिल सके।

निम्नलिखित तालिका में चयन योजना-वार परिव्ययों (₹500 करोड़ से अधिक के ब.अ. 2025-26 वाली योजनाओं हेतु), भारत सरकार द्वारा वर्ष 2025-26 में 31.12.2025 तक जारी की गई कुल निधि, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकार के एसएनए में शेष निधियों (दिनांक 31 दिसंबर, 2025 की स्थिति के अनुसार) के ब्यौरे दर्शाए गए हैं:

(₹ करोड़ में)

मांग सं. और नाम	ब.अ. 2025-26	सं.अ. 2025-26	31.12.2025 तक भारत सरकार द्वारा जारी की गई कुल निधियां ##	राज्यों और पात्र संघ राज्य क्षेत्रों के एसएनए बैंक खातों में शेष निधियां	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के राजकोष में सीएसएस निधियां (केंद्रीय अंश+राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अंश) (जिन्हें एसएनए को अंतरित नहीं किया गया)	राज्यों/पात्र संघ राज्य क्षेत्रों के पास उपलब्ध कुल निधियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (5)+(6)
1. कृषि और किसान कल्याण विभाग						
(i) कृषोन्नति योजना	8,000.00	6,800.00	3,513.21	86.38	317.85	404.23
(ii) राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन (सीएसएस)	616.01	725.00	358.11	155.54	203.99	359.53
(iii) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	8,500.00	7,000.00	3,703.68	124.33	63.91	188.24
4. आयुर्वेद, योग और नैचुरोपैथी, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय						
(i) राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम)	1,275.00	780.96	140.60	208.25	0.72	208.97
15. खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग						
(i) एनएफएसए के अंतर्गत खाद्यान्नों को राज्य के भीतर लाने-ले जाने के लिए राज्य एजेंसियों को सहायता और एफपीएस डीलरों का मार्जिन	7,075.00	6,000.00	3,858.68	1.05	4,258.69	4,259.74

विवरण 4 कक

एकल नोडल एजेंसी (एसएनए) खातों में शेष निधि

मांग सं. और नाम	ब.अ. 2025-26	सं.अ. 2025-26	31.12.2025 तक भारत सरकार द्वारा जारी की गई कुल निधियां ##	राज्यों और पात्र संघ राज्य क्षेत्रों के एसएनए बैंक खातों में शेष निधियां	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के राजकोष में सीएसएस निधियां (केंद्रीय अंश+राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अंश) (जिन्हें एसएनए को अंतरित नहीं किया गया)	राज्यों/पात्र संघ राज्य क्षेत्रों के पास उपलब्ध कुल निधियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (5)+(6)
16. सहकारिता मंत्रालय						
(i) प्राथमिक कृषि सहकारिता सोसाइटियों का डिजिटलीकरण	560.00	150.00	11.45	21.04	93.49	114.52
25. स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग						
(i) समग्र शिक्षा	41,250.00	38,000.02	14,715.16	6,729.85	1,090.90	7,820.75
(ii) राज्यों के लिए अध्यापन शिक्षण एवं परिणामों का सुदृढीकरण (एसटीएआरएस)	1,250.00	500.00	2.85	282.27	0.00	282.27
(iii) उभरते भारत के लिए पीएम स्कूल (पीएम श्री)	7,500.00	4,500.00	472.98	44.60	2.91	47.50
(iv) प्रधान मंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पूर्ववर्ती स्कूलों में राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन कार्यक्रम)	12,500.00	10,600.00	5,138.16	2,761.34	1,765.79	4,527.13
26. उच्चतर शिक्षा विभाग						
(i) प्रधान मंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम-यूएसएचए)	1,815.00	800.00	508.60	38.73	35.69	74.41
43. मत्स्यपालन विभाग						
(i) प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई)	2,465.00	1,500.00	809.03	39.20	95.82	135.02
44. पशुपालन और डेयरी विभाग						
(i) राष्ट्रीय पशुधन मिशन	800.00	760.00	494.43	3.65	27.93	31.59
45. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय						
(i) प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों का औपचारिकीकरण (पीएम-एफएमई)	2,000.00	1,500.00	868.08	14.46	75.35	89.82

विवरण 4 कक

एकल नोडल एजेंसी (एसएनए) खातों में शेष निधि

मांग सं. और नाम	ब.अ. 2025-26	सं.अ. 2025-26	31.12.2025 तक भारत सरकार द्वारा जारी की गई कुल निधियां ##	राज्यों और पात्र संघ राज्य क्षेत्रों के एसएनए बैंक खातों में शेष निधियां	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के राजकोष में सीएसएस निधियां (केंद्रीय अंश+राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अंश) (जिन्हें एसएनए को अंतरित नहीं किया गया)	राज्यों/पात्र संघ राज्य क्षेत्रों के पास उपलब्ध कुल निधियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (5)+(6)
46. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग						
(i) आयुष्मान भारत – प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई)	9,406.00	9,000.00	6,637.83	2.09	-	2.09
(ii) प्रधान मंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम)	4,200.00	2,442.50	1,018.40	104.86	163.74	268.59
(iii) आरसीएच और स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढीकरण के लिए फ्लैक्सिबल पूल, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन	30,009.92	29,867.26	19,187.47	386.85	195.70	582.56
(iv) अवसंरचना रखरखाव	7,000.00	7,000.00	5,460.79	2.86	27.38	30.24
(v) स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा के लिए मानव संसाधन	1,675.00	1,630.00	692.09	1,290.30	1,817.57	3,107.87
51. पुलिस						
(i) पुलिस बलों का आधुनिकीकरण	4,069.24	3,279.53	2,229.59	442.17	5,242.19	5,684.36
(ii) वाइब्रेंट विलेजिस प्रोग्राम	1,056.40	445.83	365.95	1.68	88.98	90.66
60. आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय						
(i) पीएमएवाई शहरी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र घटक की अन्य मदें)	17,357.04	5,803.07	2,585.68	1,428.80	199.39	1,628.19
(ii) पीएम-ईबस सेवा	1,310.00	300.00	10.28	106.85	149.97	256.82
(iii) शहरी नवीकरण मिशन-500 शहर	10,000.00	7,500.00	5,065.46	1,536.05	403.32	1,939.37
(iv) स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) - शहरी	5,000.00	2,000.00	1,006.11	2,858.76	92.47	2,951.23

विवरण 4 कक

एकल नोडल एजेंसी (एसएनए) खातों में शेष निधि

मांग सं. और नाम	ब.अ. 2025-26	सं.अ. 2025-26	31.12.2025 तक भारत सरकार द्वारा जारी की गई कुल निधियां ##	राज्यों और पात्र संघ राज्य क्षेत्रों के एसएनए बैंक खातों में शेष निधियां	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के राजकोष में सीएसएस निधियां (केंद्रीय अंश+राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अंश) (जिन्हें एसएनए को अंतरित नहीं किया गया)	राज्यों/पात्र संघ राज्य क्षेत्रों के पास उपलब्ध कुल निधियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (5)+(6)
62. जल संसाधन, नदी विकास और गंगा पुनरुद्धार विभाग						
(i) हर खेत को पानी	1,100.00	893.00	397.42	41.19	4.44	45.63
(ii) पीएमकेएसवाई के अंतर्गत नाबार्ड से ऋणों की अदायगी	3,809.85	3,628.60	2,780.06	-	-	-
(iii) राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना- अन्य बेसिन	558.09	515.61	204.14	92.0	337.60	429.60
(iv) पीएमकेएसवाई-त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम और राष्ट्रीय/विशेष परियोजनाएं	2,500.00	1,700.00	883.12	284.49	139.00	423.49
(v) पीएमकेएसवाई-कमांड क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन	850.00	150.00	94.63	193.48	7.74	201.22
63. पेयजल और स्वच्छता विभाग						
(i) जल जीवन मिशन (जेजेएम)/राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन	67,000.00	17,000.00	31.00	5,371.12	145.54	5,516.66
(ii) स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)	7,192.00	6,000.00	2,410.49	43.45	77.12	120.58
65. विधि एवं न्याय						
(i) न्यायपालिका के लिए अवसंरचना सुविधाएं	998.00	798.00	399.69	15.62	0.33	15.95
70. अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय						
(i) प्रधान मंत्री जन विकास कार्यक्रम	1,913.97	1,565.00	1,059.49	989.50	38.89	1,028.39
72. पंचायती राज मंत्रालय						
(i) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए)	1,063.67	850.00	443.72	22.58	1.48	24.06

विवरण 4 कक

एकल नोडल एजेंसी (एसएनए) खातों में शेष निधि

मांग सं. और नाम	ब.अ. 2025-26	सं.अ. 2025-26	31.12.2025 तक भारत सरकार द्वारा जारी की गई कुल निधियां ##	राज्यों और पात्र संघ राज्य क्षेत्रों के एसएनए बैंक खातों में शेष निधियां	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के राजकोष में सीएसएस निधियां (केंद्रीय अंश+राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अंश) (जिन्हें एसएनए को अंतरित नहीं किया गया)	राज्यों/पात्र संघ राज्य क्षेत्रों के पास उपलब्ध कुल निधियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (5)+(6)
87. ग्रामीण विकास विभाग						
(i) इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (आईजीएनओएपीएस)	6,645.90	6,460.00	3,709.23	1,687.87	14.09	1,701.96
(ii) राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना	659.00	400.00	260.21	152.34	7.87	160.21
(iii) इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (आईजीएनओएपीएस)	2,026.99	2,026.99	1,428.20	282.39	2.63	285.01
(iv) प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना	19,000.00	11,000.00	2,535.76	2,540.08	462.41	3,002.49
(v) प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई)-ग्रामीण	54,832.00	32,500.01	12,178.74	2,117.95	76.69	2,194.64
(vi) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन	19,005.00	16,000.00	6,477.47	1,151.32	88.57	1,239.88
(vii) महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम	86,000.00	88,000.00	72,115.79	166.82	2,653.31	2,820.13
88. भूमि संसाधन विभाग						
(i) प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना-वाटरशेड विकास घटक	2,505.00	1,500.00	772.08	172.44	24.66	197.10
93. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय						
(i) अनुसूचित जातियों के लिए मैट्रिक-उपरांत छात्रवृत्ति	6,360.00	6,000.00	4,381.16	799.59	0.11	799.70
(ii) प्रधान मंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम अजय)	2,140.00	1,250.00	40.27	205.40	45.75	251.15
(iii) अनुसूचित जातियों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति	577.96	577.96	360.82	305.17	36.51	341.68
(iv) पीएम यंग अचीवर्स स्कोलरशिप अवार्ड स्कीम फॉर वाइब्रेंट इंडिया-पीएम यशस्वी	1,250.00	1,000.00	241.52	274.11	733.87	1,007.98

विवरण 4 कक

एकल नोडल एजेंसी (एसएनए) खातों में शेष निधि

मांग सं. और नाम	ब.अ. 2025-26	सं.अ. 2025-26	31.12.2025 तक भारत सरकार द्वारा जारी की गई कुल निधियां ##	राज्यों और पात्र संघ राज्य क्षेत्रों के एसएनए बैंक खातों में शेष निधियां	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के राजकोष में सीएसएस निधियां (केंद्रीय अंश+राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अंश) (जिन्हें एसएनए को अंतरित नहीं किया गया)	राज्यों/पात्र संघ राज्य क्षेत्रों के पास उपलब्ध कुल निधियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (5)+(6)
100. जनजातीय कार्य मंत्रालय						
(i) अनुसूचित जनजातियों के लिए मैट्रिक पश्चात छात्रवृत्ति	2,462.68	2,864.34	2,821.97	708.51	1,229.54	1,938.06
(ii) धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीए-जेजीयूए)	2,000.00	500.00	245.97	104.16	54.33	158.48
101. महिला और बाल विकास मंत्रालय						
(i) सक्षम आँगनवाड़ी और पोषण 2.0 (व्यापक आईसीडीएस-आँगनवाड़ी सेवाएं, किशोरियों के लिए पोषण अभियान योजना, राष्ट्रीय शिशुगृह योजना))	21,960.00	20,949.47	11,697.57	6,352.01	2,241.76	8,593.76
(ii) मिशन वात्सल्य (बाल संरक्षण सेवाएं और बाल कल्याण सेवाएं)	1,500.00	1,100.00	316.18	105.93	8.95	114.88
(iii) संबल (बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वन स्टॉप सेंटर, महिला पुलिस वॉलंटियर, महिला हेल्पलाइन, नारी अदालत इत्यादि)	629.00	322.35	177.86	15.17	29.03	44.20
(iv) सामर्थ्य (शक्ति सदन(स्वाधार, उज्ज्वला, विधवा गृह) सखी निवास, पालना, (पीएमएमवीवाई)/ राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण केंद्र/महिलोन्मुखी बजट आयोजना/अनुसंधान/कौशल/प्रशिक्षण/मीडिया इत्यादि	2,521.00	1,677.65	1,060.82	769.53	447.57	1,217.09
जोड़	505,749.72	376,113.15	208,380.05	43,636.16	25,323.52	68,959.68

भाग-ख

एसएनए स्पर्श पर विवरण

एसएनए स्पर्श या समयोचित प्रणाली एकीकृत शीघ्र हस्तांतरण राज्य आईएफएमआईएस, आरबीआई और पीएफएमएस के एकीकृत नेटवर्क के माध्यम से “समयोचित” निधि जारी करने के लाखी को प्राप्त करने के लिए प्रभावी नकद प्रबंधन को सुविधाकृत करने का एक प्रयास है। राज्य द्वारा दावा किए जाने की स्थिति में केंद्र और राज्य समेकित कोष दोनों प्रभावित होते हैं।

एसएनए स्पर्श परिणामस्वरूप शेष समेकित कोष और राज्य (राज्यों) के समेकित कोष के बाहर और एसएनए बैंक खाते एसएनए स्पर्श, एनएनए खाता मॉडल से उन्नत है जिसके में अंतरण होता है जिससे जारी की गई राशि उसके अंतिम उपयोग तक बनी रहती है। भारत सरकार और राज्यों द्वारा किए गए बड़े निर्गमन के कारण आरबीआई की लेखों में नकद संबंधी बेमेल होता है जिसे अर्थोपाय (डब्ल्यूएमए) या अन्य अल्पावधिक उधरों के माध्यम से राशि को उधार लेकर पूरा किया जाता है।

एसएनए स्पर्श के तहत, केंद्र और राज्य समेकित कोष दोनों तभी प्रभावित होते हैं जब राज्य द्वारा वास्तविक दावा किया जाता है, जिससे बड़े अंतरण और राशि के पड़े रहने की समस्या का निवारण होता है। एंड-टू-एंड कार्यप्रवाह केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा राज्यों को केंद्र के भाग की समय पर निर्गमन किया जाना और ट्रैक करने की क्षमता के साथ राज्यों द्वारा लाभार्थियों को केंद्र का हिस्सा, राज्य का हिस्सा और टॉप-अप (यदि लागू हो) का निर्गमन सुनिश्चित करता है।

एसएनए स्पर्श मापांक अगस्त 2023 में निम्नलिखित 6 राज्यों- राजस्थान, उड़ीसा, कर्नाटक, तेलंगाना, झारखंड और छत्तीसगढ़ में और दो केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं – पी एम उषा और स्वच्छ भारत मिशन- ग्रामीण के साथ पायलट रोल-आउट के साथ शुरू किया गया था। इसके बाद, मई 2024 में 14 राज्यों और 23 केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं, जून 2025 में 37 केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं और नवंबर 2025 से प्रभावी बची हुई योजनाओं में अधिसूचना के साथ चरणबद्ध रोल-आउट किया गया। उत्तर-पूर्वी राज्यों और विधान मण्डल वाले तीन संघ राज्य क्षेत्रों को दिसंबर 2024 में एसएनए स्पर्श पर ऑन-बोर्ड करने के लिए अधिसूचित किया गया था।

वर्तमान में, सभी अधिसूचित राज्यों को एसएनए स्पर्श पर सफलतापूर्वक ऑन-बोर्ड किया गया है और नए मॉडल के माध्यम से भुगतान शुरू कर लिया गया है। 81 अधिसूचित केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं में से, 50 को दिनांक 31.12.2025 तक ऑन-बोर्ड किया गया है। दिसंबर 2025 तक एसएनए स्पर्श पर ऑन-बोर्ड की गई केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं का विवरण इस प्रकार है:

क्रम सं.	मांग सं. और नाम	योजना का नाम	एसएनए स्पर्श पर ऑन-बोर्ड किए गए राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या	31.12.2025 तक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी प्रमुख संस्वीकृति (₹ करोड़)	31.12.2025 तक प्रमुख संस्वीकृति से राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उपयोग की गयी राशि (₹ करोड़)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	1- कृषि और	कृषोन्नति योजना	30	4701.45	2375.08
2	किसान कल्याण विभाग	प्राकृतिक कृषि संबंधी राष्ट्रीय मिशन (सीएसएस)	10	204.55	24.48
3		राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	30	6104.01	3490.43
4	4 - आयुर्वेद, योग और नैचुरोपैथी, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी मंत्रालय (आयुष)	राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम)	22	879.10	109.13
5	15 - खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	एनएफएसए के अंतर्गत खाद्यान्नों को राज्य के भीतर लाने-ले जाने के लिए राज्य एजेंसियों को सहायता और एफपीएस डीलरों का मार्जिन	27	3595.57	2436.31
6		सार्वजनिक वितरण प्रणाली में तकनीक के माध्यम से आधुनिकीकरण और सुधार योजना (स्मार्ट-पीडीएस)	12	10.22	1.78
7	16 – सहकारिता मंत्रालय	आईटी पहलों के माध्यम से सहकारिताओं को सुदृढ़ करने के लिए केन्द्रीय प्रायोजित परियोजना	4	4.20	0.93
8		प्राथमिक कृषि क्रेडिट सोसाइटियों का कंप्यूटरीकरण	11	144.23	13.36
9	25 - स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग	नव भारत साक्षरता कार्यक्रम (एनआईएलपी)	12	77.85	1.77
10		उभरते भारत के लिए पीएम स्कूल (पीएम श्री)	25	2273.08	251.35

एसएनए स्पर्श पर विवरण					
विवरण 4 कक					
क्रम सं.	मांग सं. और नाम	योजना का नाम	एसएनए स्पर्श पर ऑन-बोर्ड किए गए राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या	31.12.2025 तक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी प्रमुख संस्वीकृति (₹ करोड़)	31.12.2025 तक प्रमुख संस्वीकृति से राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उपयोग की गयी राशि (₹ करोड़)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
11	26 - उच्चतर शिक्षा विभाग	प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम-यूएसएचए)	30	720.40	487.27
12	28 - पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	प्राकृतिक संसाधनों और इकोसिस्टम का संरक्षण	5	28.00	9.76
13		वन्यजीव पर्यावास का एकीकृत विकास	14	301.82	116.36
14		हरित भारत राष्ट्रीय मिशन	6	62.61	1.25
15	43 - मत्स्यपालन विभाग	प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई)	27	1153.33	537.05
16	44 - पशुपालन और डेयरी विभाग	विकास कार्यक्रम	18	216.85	122.85
17		मवेशी स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम	30	597.26	351.40
18	45 - खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों का औपचारिकीकरण (पीएम-एफएमई)	28	1542.20	932.69
19	46 - स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग	आरसीएच और स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढीकरण के लिए फ्लैक्सिबल पूल, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन	27	10326.06	5945.25
20		स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा के लिए मानव संसाधन	10	1399.16	692.09
21		प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम)	28	2621.41	938.05
22	51 - पुलिस	पुलिस बलों का आधुनिकीकरण	14	583.81	261.94
23	गृह मंत्रालय	वाइब्रेंट विलेजिस प्रोग्राम	1	481.07	285.99
24	60 - आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय	अमृत (नवोत्थान और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन)	28	7088.43	4899.53
25		नवाचार, एकीकृत और सतत करने के लिए शहरी निवेश 2.0 (सीआईटीआईआईएस 2.0)	2	22.44	0.01
26		पीएम-ईबस सेवा योजना	5	194.61	6.94
27		प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई)-शहरी	24	8407.86	2556.19
28		स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) - शहरी	28	2775.36	945.28
29	62 - जल संसाधन, नदी विकास और गंगा पुनरुद्धार विभाग	बाढ़ प्रबंध और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम (एफएमबीएपी)	3	89.73	16.05
30		नदियों को जोड़ना	2	774.73	81.27
31		सिंचाई जनगणना	13	19.92	1.90
32		राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना-अन्य बेसिन	1	170.18	8.08
33		प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई)	9	2092.29	1000.58

विवरण 4 कक					
एसएनए स्पर्श पर विवरण					
क्रम सं.	मांग सं. और नाम	योजना का नाम	एसएनए स्पर्श पर ऑन-बोर्ड किए गए राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या	31.12.2025 तक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी प्रमुख संस्वीकृति (₹ करोड़)	31.12.2025 तक प्रमुख संस्वीकृति से राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उपयोग की गयी राशि (₹ करोड़)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
34	63 - पेयजल और स्वच्छता विभाग	स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)	28	3292.33	1534.46
35	65 - विधि एवं न्याय मंत्रालय	न्यायपालिका के लिए अवसंरचना सुविधाएं	24	626.80	392.92
36	70 - अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम	10	333.24	16.84
37	72 - पंचायती राज मंत्रालय	राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए)	19	429.00	87.43
38	87 - ग्रामीण विकास विभाग	दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन-- (डीएवाई-एनआरएलएम)	25	5207.77	904.55
39		महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम	23	12365.78	5064.70
40		प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई)-ग्रामीण	12	16538.29	2309.43
41		प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	25	8928.86	2397.07
42	88 - भूमि संसाधन विभाग	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-वाटरशेड विकास घटक	27	1400.41	722.70
43	93 - सामाजिक	अटल वयो अभ्युदय योजना (एवीवाईएवाई)	8	62.29	2.10
44	न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	ड्रग मांग में कमी के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना नैशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रीडक्शन (एनएपीडीडीआर)	3	26.41	0.14
45		ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी के लिए पीएम यंग अचीवर्स स्कोलरशिप अवार्ड स्कीम फॉर वाइब्रेंट इंडिया- (पीएम यशस्वी)	4	588.04	108.44
46		प्रधान मंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम अजय)	13	892.22	63.53
47		सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1995 और की अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 के प्रवर्तन के लिए मशीनरी को सुदृढ़ करना	10	167.90	67.10
48	100 - जनजातीय कार्य मंत्रालय	अनुसूचित जनजाति विकास कार्यक्रम (पीएम वनबंधु कल्याण योजना)	10	1010.84	30.10
49	101 - महिला और बाल विकास	मिशन शक्ति (महिला संरक्षण और सशक्तीकरण मिशन)	29	915.79	246.66
50	मंत्रालय	मिशन वात्सल्य (बाल संरक्षण सेवाएं और बाल कल्याण सेवाएं)	23	546.73	140.55

* एसएनए स्पर्श पर ऑन-बोर्ड किए गए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र जो कॉलम 3 में विनिर्दिष्ट किए गए हैं द्वारा प्रारंभ से अंतिम लाभार्थी तक कम से कम एक भुगतान किया गया है।

विवरण 4 कक

एसएनए स्पर्श पर विवरण

निम्नलिखित केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं को अधिसूचित किया गया है परंतु अभी तक ऑन-बोर्ड नहीं किया गया है:

क्रम सं.	मांग सं. और नाम	योजना का नाम
1	25 - स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग	समग्र शिक्षा
2		प्रधान मंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम पोषण)
3		राज्यों के लिए अध्यापन शिक्षण और परिणाम सुदृढ़ करना (एसटीएआरएस)
4	46 - स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग	आयुष्मान भारत - प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेवाई)
5		राज्य ड्रग विनियामक प्रणाली को सुदृढ़ करना
6		एन आर एच एम के राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रबंधन को सुदृढ़ करना
7		तृतीयक देखभाल कार्यक्रम
8		वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना
9	51 - पुलिस	राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम शमन परियोजना
10		सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम
11		महिला सुरक्षा योजना (सेफ सिटी परियोजना)
12	60 - आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय	औद्योगिक आवासन के लिए योजना
13		दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन- (डीएवाई-एनयूएलएम)
14		दीनदयाल जन आजीविका योजना- शहरी {डीजेवाई-(एस)}
15		स्मार्ट सिटी मिशन
16		राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन (एनयूडीएम)
17		अर्बन चैलेंज निधि
18	62 - जल संसाधन, नदी विकास और गंगा पुनरुद्धार विभाग	पोलवार सिंचाई परियोजना के पूरा होने की संशोधित लागत (पीआईपी) ईएल 41.15 मीटर की जल भंडारण क्षमता तक, अर्थात मिनिमम ड्रॉ डाउन लेवल (एमडीडीएल)
19	63 - पेयजल और स्वच्छता विभाग	जल जीवन मिशन (जेजेएम)/राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन
20	70 - अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	मदरसा और अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षण योजना
21	87 - ग्रामीण विकास विभाग	राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम
22	92- कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय	संस्थागत प्रशिक्षण के लिए अवसंरचना को सुदृढ़ करना
23		नई आईटीआई उन्नयन योजना
24		आजीविका संवर्धन के लिए कौशल अर्जन और सूचना जागरूकता (संकल्प) - ईएपी
25		औद्योगिक मूल्य वृद्धि के लिए कौशल सुदृढ़ करना (स्ट्राइव) - ईएपी
26	93 - सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	अनुसूचित जातियों के लिए मैट्रिक-उपरांत छात्रवृत्ति
27		अनुसूचित जातियों और अन्य के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति
28	99- पर्यटन मंत्रालय	महिलाओं के लिए सुरक्षित पर्यटन गंतव्य
29	101-महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	सक्षम अंगनवाड़ी और पोषण 2.0 (आंगनवाड़ी सेवाएं, पोषण अभियान किशोरियों के लिए योजनाएं, राष्ट्रीय शिशु गृह योजना के लिए समेकित आईसीडीएस)

निम्नलिखित केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं को एसएनए स्पर्श से छूट डी गई है क्योंकि यह प्रतिपूर्ति योजनाएं हैं।

क्रम सं.	मांग सं. और नाम	योजना का नाम
1	46 - स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग	अवसंरचना रखरखाव
2	65 - विधि एवं न्याय मंत्रालय	फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय (एफटीएससी)